राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक :F 26(4)( )VC/PMMVY/ICDS/2017/ 84401 दिनांक : 15-5-18

दिनांक 11.05.2018 को निदेशक, आईसीडीएस की अध्यक्षता में PMMVY योजना की समीक्षा हेतु आयोजित वी.सी. का कार्यवाही विवरण

दिनांक 03.05.2018 को अधोहस्ताक्षरकता की अध्यक्षता में PMMVY योजना की समीक्षा हेतु वी. सी. आयोजित की गई। उक्त वी.सी. में निदेशालय से श्रीमती सुषमा अरोड़ा, निदेशक, आईसीडीएस, श्रीमती बिन्दु करूणाकर, राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/अतिरिक्त निदेशक (आई) तथा जिला स्तर पर उपनिदेशक, मबावि, तथा ब्लॉक स्तर पर समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ ब्लॉक की समस्त महिला पर्यवेक्षकों द्वारा भाग लिया गया।

जिलेवार फार्म 1A का अनुमानित लक्ष्य व उपलब्धि निम्नानुसार है :-

Rank	District	No of Sanctioned AWCs	Target	As on May 1st 2018	As on May 10th 2018	Progress in 9 Days	% of target Form 1 A completed as on 10th May, 2018
33	JALORE	1884	15072	669	934	265	6%
32	PALI	1822	14576	1,223	1,615	392	11%
31	BARMER	3545	28360	2,816	3,181	365	11%
30	JAISALMER	832	6656	686	801	115	12%
29	ALWAR	3451	27608	3,032	3,940	908	14%
28	DUNGARPUR	2112	16896	2,122	2,637	515	16%
27	KARAULI	1306	10448	1,321	1,829	508	18%
26	BARAN	1617	12936	1,324	2,384	1060	18%
25	BANSWARA*	2125	19680	2,864	3,632	768	18%
24	SIROHI	934	7472	1,202	1,477	275	20%
23	BHARATPUR	2079	16632	2,471	3,378	907	20%
22	RAJSAMAND	1167	9336	1,534	1,953	419	21%
21	KOTA	1282	10256	1,831	2,276	445	22%
20	PRATAPGARH	1234	9872	1,668	2,260	592	23%
19	NAGAUR	2874	22992	4,746	5,440	694	24%
18	JODHPUR	2533	20264	4,233	4,912	679	24%
17	DAUSA	1355	10840	2,091	2,924	833	27%
16	TONK	1481	11848	2,585	3,223	638	27%
15	DHOLPUR	1031	8248	1,907	2,295	388	28%
14	UDAIPUR	3175	25400	6,216	7,079	863	28%
13	S. MADHOPUR	1104	8832	1,924	2,523	599	29%
12	SIKAR	2137	17096	3,809	4,891	1082	29%
11	BIKANER	1502	12016	2,755	3,778	1023	31%
10	CHITTORGARH	1782	14256	3,660	4,507	847	32%
9	AJMER	1961	15688	3,422	5,215	1793	33%
8	JAIPUR*	4251	34800	9,753	12,295	2542	35%
7	BUNDI	1202	9616	3,012	3,422	410	36%
6	BHILWARA	2217	17736	5,886	6,913	1027	39%
5	CHURU	1710	13680	5,559	6,728	1169	49%
4	JHUNJHUNU	1589	12712	5,546	6,940	1394	55%
3	JHALAWAR	1509	12072	6,108	6,598	490	55%
2	HANUMANGARH	1244	9952	5,473	6,773	1300	68%
1	GANGANAGAR*	1980	16080	12,758	13,246	488	82%
Total	Rajasthan		499928	116206	141999	25793	28%

वी.सी. के दौरान निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये:—

1. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा PMMVY की प्रगति बैठक के माध्यम से समीक्षा ली जाती है। आगामी प्रगति बैठक शीघ्र ही आयोजित होने की संभावना है। अभी तक राज्य में PMMVY की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अतः सभी उपनिदेशक व बाल विकास परियोजना अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने—अपने जिले व परियोजनाओं में PMMVY के कार्य में गति लाएगें।
2. वी.सी. के दौरान सभी उपनिदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे 15 मई, 2018 तक लक्ष्य के अनुरूप ऑफलाईन फार्म एकत्रित करके उनकी फीडिंग करवाना सुनिश्चित करें।
3. सभी उपनिदेशक परियोजनावार तथा बाल विकास परियोजना अधिकारिकों को निर्देशित किया गया कि न्यून प्रदर्शन वाली परियोजनाओं में व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करके कारण सुधार के लिए निर्देशित करें। लेकिन देखा गया हे कि कई उपनिदेशकों द्वारा विजिट नहीं की गयी है। अतः सभी उपनिदेशकों को पुनः पाबन्द किया गया कि कमजोर प्रदर्शन वाली परियोजनाओं व महिला पर्यवेक्षकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक सुधार करें।
4. जिला जालौर, पाली, बाडमेर, जैसलमेर, अलवर, डूंगरपुर, करौली, बारां, बांसवाड़ा एवं सिराही जिलों के उपनिदेशकों को पाबन्द किया गया कि वे अपने जिले के प्रदर्शन को सुधारे, क्योंकि इनके खराब प्रदर्शन के कारण पूरे राज्य का औसत खराब हो रहा है।
5. कुछ परियोजनाओं में लक्ष्यों की तुलना में बहुत कम फार्म फीड हो रहे है। इसी तरह से कई पर्यवेक्षकों ने आंवटित सेक्टर के आंगनबाड़ी केन्द्रों की तुलना में 10 प्रतिशत फार्म भी प्राप्त नहीं किए है। इससे PMMVY के कार्य के प्रति उनकी लापरवाही स्पष्ट होती है। समस्त उपनिदेशक अपने जिले में 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि तथा महिला पर्यवेक्षकों के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये। ऐसे खराब प्रदर्शन वाली परियोजनाओं में उपनिदेशक स्वयं जाकर PMMVY की समीक्षा करें।
6. वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विभाग की अन्य गतिविधियों के साथ—साथ PMMVY तथा राजश्री योजना का पर्याप्त प्रचार—प्रचार कर लाभार्थियों से इनके फार्म भराये जाये।
7. सभी गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण हो तथा पहली एएनसी जल्द से जल्द करायी जाये, जिससे पहली व दूसरी किश्त का समय पर भुगतान हो सकें। फार्म ए, बी व सी को भरते समय उनके बैंक खाते/पोस्ट ऑफिस का विवरण तथा आधार नम्बर सही भरा जाये।
8. समस्त महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से प्राप्त फार्म को सत्यापन करके 2—3 दिवस में ही बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। फार्म बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज तथा सभी अनिवार्य विवरण सही भरे गए है।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला पर्यवेक्षक से प्राप्त होने वाले फार्म को उसी दिन PMMVY-CAS में ऑनलाईन फीडिंग करना सुनिश्चित करें तथा यदि कोई फार्म करेक्शन के लिए PMMVY-CAS में वापस आता है तो उसे उसी दिन करेक्शन करके PMMVY-CAS में फीड करें।
10. सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन 3 बार (सुबह, दोपहर व शाम) को PMMVY-CAS में अपनी लॉगिन आईडी को खोले तथा लंबित आवेदन को अनुमोदन/ निस्तारण करावें।
11. ऐसा देखने में आया है कि कई परियोजनाओं में PMMVY फार्म बड़ी संख्या में लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे डेटा फीडिंग वाली एजेन्सी से फार्म फीडिंग कराने के कार्य को प्राथमिकता नहीं दे रही है। अतः सभी बाल विकास परियोजनाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे 7 दिवस में सभी पेन्डिंग फार्मस को फीड कराना व अनुमोदन करना सुनिश्चित करावें।

12. PMMVY के सफल क्रियान्वयन एवं इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने हेतु प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) के आदेश क्रमांक एफ.6(34)/प्र.सु./अनु.3/2014 दिनांक 20.11.2017 द्वारा राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर क्रमशः राज्य, जिला व ब्लॉक स्तरीय स्टेयरिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा PMMVY की समीक्षा की जाती है। जिसके अनुसार जिला तथा परियोजना स्तर पर जिला कलेक्टर महो0 तथा एसडीएम महो0 की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसकी समीक्षा की जानी थी। सभी उपनिदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि अगली साप्ताहिक वी.सी. से पूर्व जिला कलेक्टर महो0 की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर स्टेयरिंग तथा मोनिटरिंग समिति की समीक्षा करके उसमें PMMVY की परियोजनावार तथा सेक्टरवार आवंटित लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त उपलब्धि के आधार पर समीक्षा करें।
13. PMMVY के तहत फलैक्सी फण्ड के माध्यम से टीम इन्सेन्टीव तथा डेटा फीडिंग का प्रावधान किया गया है। सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन्सेन्टीव का भुगतान समय पर मानदेयकर्मियों को किया जाये ताकि वे अधिक से अधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित हो सकें।
14. PMMVY का पर्याप्त प्रचार–प्रसार करने की आईईसी के माध्यम से विशेष प्रयास किये जाये ताकि योजना का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार हो तथा लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सकें।

अंत में सधन्यवाद वी.सी. समाप्त हुई।

(सुषमा अरोड़ा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऍ
राज. जयपुर

क्रमांक :F 26(4)( )VC/PMMVY/ICDS/2017/ 84402-743
दिनांक : 15-5-18

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4. निजी सचिव, राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/अतिरिक्त निदेशक (आई), आईसीडीएस
5. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाऍ।
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विभागीय बेवसाईट पर डालने हेतु।

(बिन्दु करूणाकर)
राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/
अतिरिक्त निदेशक (आई)